

Published by: NEERAJ PUBLICATIONS Sales Office : 1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 006 E-mail: info@neerajignoubooks.com Website: www.neerajignoubooks.com
Sales Office : 1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 006 E-mail: info@neerajignoubooks.com
<i>E-mail</i> : info@neerajignoubooks.com
Website: www.neerajignoubooks.com
Website: www.iteerujigitoubooks.com
Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only Typesetting by: Competent Computers Printed at: Novelty Printer
Notes: For the best & upto-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.
 This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board /University.
3. The information and data etc. given in this Book are from the best of the data arranged by the Author, but for the complete and upto-date information and data etc. see the Govt. of India Publications/textbooks recommended by the Board/University.
4. Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.
 In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.
6. If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to inform the Publisher, so that the same could be rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.
7. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.
8. Question Paper and their answers given in this Book provide you just the approximate pattern of the actual paper and is prepared based on the memory only. However, the actual Question Paper might somewhat vary in its contents, distribution of marks and their level of difficulty.
9. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.
10. Subject to Delhi Jurisdiction only.
© Reserved with the Publishers only.
Spl. Note: This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.
How to get Books by Post (V.P.P.)?
If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website www.neerajignoubooks.com . You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time (Time of Your Order).
To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website www.neerajignoubooks.com.
No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges. We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).
NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)
(An ISO 9001: 2008 Certified Company)
1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006 Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501
<i>E-mail:</i> info@neerajignoubooks.com Website: www.neerajignoubooks.com

CONTENTS	
आयकर के मूल तत्त्व (ELEMENTS OF INCOME TAX)	
Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)	
Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1-5
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2016 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2015 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2014 (Solved)	1-3
Question Paper—June, 2013 (Solved)	1-2
क्रम सं. Chapterwise Reference Book	पृष्ठ
आधारभूत सिद्धान्त (Fundamentals)	
1. आधारभूत संकल्पनाएँ-I (Basic Concepts-I)	1
2. आधारभूत संकल्पनाएँ-II (Basic Concepts-II)	8
3. निवास स्थिति तथा कर दायित्व (Residential Status and Tax Liability)	14
4. करमुक्त आय (धारा 10) (Exempted Incomes Under Section-10)	31
वेतन (Salaries)	
5. वेतन–I	39

क्रम सं. अध्याय	पृष्ठ
6. वेतन–II (Salaries-II)	51
7. वेतन–III (Salaries-III)	65
आय के अन्य शीर्षक (Other Heads of Income)	
8. मकान सम्पत्ति से आय (Income From House Property)	72
9. पूँजी लाभ (Capital Gains)	86
10. अन्य स्रोतों से आय (Income from other Sources)	104
व्यष्टियों का कर निर्धारण (Computation of Individual Assessment)	
11. कुल आय से कटौतियाँ (Deductions from Gross Total Income)	116
12. कुल आय की गणना (Computation of Total Income)	125
13. आय की विवरणी दाखिल करना तथा आयकर पदाधिकारी (Filing of Return and Tax Authorities)	137



GUESI	FION (June – 201		ER
	(Solved)		
आ	ायकर के मूल	तत्त्व	
समय : 2 घण्टे J			[अधिकतम अंक : 50
नोट : प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में	से किन्हीं तीन प्रश्नों के	उत्तर लिखिए।	
प्रश्न 1. निम्नलिखित सूचनाओं के आध सौरभ की कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के ति शीर्षक के अर्मात आय की गणना कीजिए: (i) मूल वेतन ₹ 40,000 प्रतिमाह (ii) महंगाई भत्ता ₹ 6,000 प्रतिमाह (ii) महंगाई भत्ता ₹ 6,000 प्रतिमाह (iii) टिफिन भत्ता ₹ 375 प्रतिमाह (iv) रात्रि भत्ता ₹ 375 प्रतिमाह (iv) रात्रि भत्ता ₹ 225 प्रतिमाह (v) प्रमाणित प्रोवीडेण्ट फण्ड में स्वयं व ₹ 45,800 (vi) नियोक्ता का अंशदान ₹ 61,000 (vii) अगस्त 2017 में जमा किया गया प्रोव पर ब्याज ₹ 42,900 13% प्रति वर्ष Ans. Computation of taxable inc	लए 'वेतन' सेवानिवृति (ix ब में लिया (x का अंशदान (xi ोडेण्ट फण्ड (xii की दर से।	मकान के लिए कि प्रति वर्ष।) पानी व बिजली की भुगतान नियोक्ता ने उनके नियोक्ता ने उन प्रयोग के लिए एक की) दी। कम्पनी ने एक ₹ 25 के संस्थापना दिवस में दिया।) मि. सौरभ ने टिफि व्ययों के 3,200 भ्	हें कार्यालय तथा व्यक्तिगत 5 मोटर कार (1.6 लीटर 5,800 का लैपटॉप कम्पनी 7 पर मि. सौरभ को उपहार न से सम्बन्धित वास्तविक रुगतान किये।
Particulars	Amount Received	Amount Exempt	Amount Taxable
Basic Salary	480,000	ooks.	480,000
Dearness allowance	72,000	-	72,000
Tiffin Allowance	4,5000	3,2000	1,300
Night Allowance	2,700	-	2,700
Employer's Contribution	61,000	61,000	-
Interest on PF @ 13% p.a.	42,900	31,350	11,550
House Rent Alowance	86,400	44,800	41,600
Water and Electricity Allowance	42,000		42,000
Motor Car	-	-	7,200
Gift -laptop	25,8000	-	25,800
Gross Taxable Income			684,150
Less : Deduction under Chapter VI A			
Own Contribution towards RPF	45,800		45,800
Net Taxable Income			638,350

2 / NEERAJ : आयकर के मूल तत्त्व (JUNE-2019)

Particulars	Amount Received	Amount Exempt	Amount Taxable
House Rent Allowance			
Allowance Received	86400		
Rent Paid over 10% of the salary	44800		
50% of Salary (Basic Salary +			
Dearness Allowance	276000		
Amount Exempt (Lower of the abo	ve) 448000		

Comments: Amount contributed by employer over and above 12% of the salary of employee is taxable An amount equal to 600 pm would be taxable in case the moter car is provided for both

personal and private use.

प्रश्न 2. भविष्य निधि (Provident Fund) से आपका क्या तात्पर्य है? एक वेतनभोगी कर्मचारी कितने प्रकार की भविष्य निधियों का सदस्य हो सकता है? विवेचना कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ-65, 'भविष्य निधि योजना'


प्रश्न 3. मि. अरुण दिल्ली में एक मकान बनाने वाली सहकारी समिति का सदस्य है और समिति से किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत लिये हुए मकान के आधे भाग में स्वयं रहता है और शेष आधा भाग ₹ 5,000 मासिक किराये पर

Ans.

उठा दिया है। महापालिका द्वारा इस मकान का उचित किराया मूल्य ₹ 90,000 वार्षिक निर्धारित किया गया था। मकान का स्थानीय कर ₹ 8,000 चुकाया। व्ययों में निम्नलिखित राशियां शामिल हैं : अग्नि बीमा प्रीमियम ₹ 1,000 तथा भूमि किराया ₹ 2,000। समिति को देय ब्याज ₹ 4,700 है। मि. अरुण की अन्य कुल आय ₹ 1,24,000 है।

कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 की 'मकान-सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत 'कर योग्य आय' की गणना कीजिए।

Calculation of Income from House property		
Particulars	Amount	
Gross Annual Value	90,000	
Less : Municipal Taxes	(8,000)	
Net Annual Value	82,000	
Less : deduction U/s 24		
Standard Deduction @30%	(24,600)3	
Interest on borrowed capital	(4,700)	
Income from house property	52,700	
Working Note :		
Calculation of gross annual value		
Municipal value (a)		
Fair Rent (b)	90,000	
Higher of (a) and (b); (d)	90,000	
Actual Rent (e)	60,000	
GAV : Higher of (d) and (e)	90,000	







आधारभूत संकल्पनाएँ-I (Basic Concepts-I)

परिचय

प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के कर लगाये जाते हैं-प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। यदि कर अर्जित की गई आय पर करदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरकार को देय होता है, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे-आयकर। आयकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है, लेकिन आयकर के नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को है। केन्द्रीय सरकार के लिए आयकर, आय का बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन है। इसका कुछ भाग राज्य सरकारों को उनके निर्धारित कार्यों के लिए वितरित किया जाता है। आयकर का अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र को अधिनियम की ताजा जानकारी रखना आवश्यक है। यह अध्याय प्रत्येक छात्र को आयकर के इतिहास तथा अद्यतन संशोधित किए गए आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी राज्यों की जानकारी उपलब्ध कराता है।

अध्याय का विहंगावलोकन

भारत में आयकर का व्यापक तंत्र

भारत में आयकर की शुरुआत सन् 1860 में अंग्रेजी शासनकाल में सर जेम्स विल्सन के कार्यकाल में हुई। उस समय के आयकर अधिनियम, 1886 के अनुसार आयकर ब्रिटिश सरकार की आय का स्थाई और मुख्य स्रोत बनाया गया। अंग्रेजी सरकार को इस अधिनियम में कुछ कमियाँ महसूस हुईं और गहन जाँच-पड़ताल के बाद आयकर अधिनियम, 1922 लागू किया गया, जो लगभग 40 वर्षों तक चलता रहा। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्



पुराने अधिनियम, 1922 को पूर्णतया बदलकर आयकर अधिनियम, 1961 बनाया गया तथा इस नए अधिनियम को अप्रैल, 1962 में लागू किया गया। आयकर अधिनियम, 1961 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है तथा वित्त मंत्रालय की निगरानी में कार्य करता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम प्रशासन के लिए भी नियम बनाता है, जिनमें विविध कार्य और विवरण होता है। इन नियमों को आयकर नियम, 1962 कहा जाता है।

वित्त अधिनियम—भारत के वित्त अधिनियम के अनुसार वित्त मंत्री को प्रत्येक वर्ष प्राय: फरवरी माह की अंतिम तिथि को संसद में आने वाले वर्ष में होने वाली आय तथा व्यय का अनुमान प्रस्तुत करना होता है। इस अनुमान के ब्यौरे को बजट कहा जाता है। संसद द्वारा पास होने के उपरांत वित्त अधिनियम लागू कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आयकर की दरों का भी विवरण दिया जाता है, जो निर्धारण वर्ष की आय पर लागू होता है।

आयकर लगाने की विधि–आय पर लगाया जाने वाला कर आयकर कहलाता है। आयकर करदाता के गतवर्ष की आय पर लगाया जाता है, लेकिन आयकर निर्धारित वर्ष में लागू दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सभी स्रोतों से आय वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम आय से अधिक है, कर देने का उत्तरदायी है। वित्त अधिनियम, 2014 के अनुसार अधिकतम छूट की राशि व्यक्ति की दशा में ₹ 2,50,000 हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए ₹ 2,50,000, व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक तथा 80 वर्ष से कम है, के लिए ₹ 3,00,000 है। आयकर अधिनियम में एक व्यक्ति की कुल

2 / NEERAJ : आयकर के मूल तत्व

आय की गणना करने के लिए उसकी आय को पाँच शीर्षों में विभाजित किया गया है–

- 1. वेतन,
- 2. मकान संपत्ति से आय,
- 3. व्यापार और पेशे से लाभ,
- 4. पूँजीगत लाभ, तथा
- 5. अन्य स्रोतों से लाभ।

भारतीय आयकर अधिनियम तथा वित्त अधिनियम आय तथा कर संबंधित सभी विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अत: इन अधिनियमों के अध्ययन से उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जो आयकर निर्धारण में सामने आती हैं।

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, भारत के सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों पर लागू होता है। इस अधिनियम में 400 से अधिक धाराएँ (धारा 1 से लेकर 298) तथा बारह अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से 4 सूचियों (छठी, आठवीं, नवीं और बारहवीं सूचियों) को समाप्त कर दिया गया है।

आय की अवधारणा आय की परिभाषा

आयकर एक व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। आयकर की गणना में 'आय' शब्द बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय आयकर अधिनियम 'आय' की कोई स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत नहीं करता। अधिनियम की धारा 2(24) केवल इस बात की ओर संकेत करती है कि आय में क्या-क्या शामिल है। इस धारा के अनुसार आय में निम्नलिखित मदें शामिल हैं-

- 1. कोई लाभ की रकम
- 2. लाभांश
- 3. निम्नलिखित के द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्राप्त चंदों से आय-
 - (क) ऐसा ट्रस्ट अथवा संस्था जिनकी स्थापना धार्मिक अथवा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए हुई हो,
 - (ख) वैज्ञानिक शोध संघ,
 - (ग) खेलकूद संघ,
 - (घ) पुण्यार्थ कोष अथवा पूर्णतया सार्वजनिक, धार्मिक तथा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट अथवा संस्था,
 - (ङ) कोई विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था,
 - (च) कोई अस्पताल अथवा अन्य संस्था।
- कर्मचारी को प्राप्त ऐसे अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ जो वेतन शीर्षक में कर योग्य हैं।
- कर्मचारी को अनुलाभों के अलावा प्राप्त होने वाला कोई ऐसा विशेष भत्ता या लाभ जो अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में किए गए व्ययों की पूर्ति करता हो।
- 6. विपणन संघ या सत्ता की आय।

- भारतीय इकाई प्रन्यास के यूनिटों से आय (कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से यह आय कर मुक्त है)।
- 8. किसी सहयोगी फण्ड के यूनिटों से आय।
- करदाता द्वारा अपने सेवा के स्थान या निवास स्थान पर कर्त्तव्य पालन हेतु किए व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया कोई भत्ता अथवा जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता।
- कम्पनी के संचालक या कम्पनी में साखान हित रखने वाले व्यक्ति को, उसके किसी रिश्तेदार को कम्पनी से प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य।
- प्रतिनिधि कर दाता द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य।
- 12. प्रतिनिधि करदाता द्वारा लाभ प्राप्तकर्त्ता के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान जिसे प्रतिनिधि करदाता द्वारा न किए जाने की दशा में लाभ प्राप्तकर्त्ता को करना पड़ता।
- 13. पूँजी लाभ।
- 14. पूर्व में स्वीकृत हानि, व्ययों या व्यापारियों के दायित्वों के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।
- 15. पूर्व वर्षों में स्वीकृत डूबते ऋणों की वापसी।
- 16. सीमा शुल्क की वापसी।
- 17. कर योग्य संतुलित चार्ज।
- फर्म से साझेदार को प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन एवं अन्य कोई पारिश्रमिक।
- 19. एक पारस्परिक बीमा कम्पनी से लाभ।
- 20. लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, ताश के पत्तों का खेल तथा अन्य किसी प्रकार के खेलों की जीत से प्राप्त रकम।
 कर निर्धारण वर्ष 2002-03 से लॉटरी के अन्तर्गत ऐसे इनामों से जीत भी शामिल होगी, जिसे लॉटरी या अन्य किसी रीति से निकाला गया है। ताश तथा अन्य खेलों
- में टेलीविजन पर कोई खेल प्रदर्शन इनाम जीतने हेतु कोई मनोरंजन कार्यक्रम भी शामिल होंगे। 21. निम्नलिखित कोषों में अंशदान के लिए कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि–
 - (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित कोष;
 - (ख) श्रम कल्याण के लिए स्थापित कोई कोष;
 - (ग) कर्मचारियों के प्रॉविडेण्ट फण्ड अथवा सुपरऐनुएशन फण्ड।
- आयात नियंत्रण आदेश, 1995 के अंतर्गत मिले हुए लाइसेंस को बेचने से लाभ।
- भारत सरकार की निर्यात के सम्बन्ध में किसी योजना के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्य नकद सहायता।

- गैर रिश्तेदारों से बिना प्रतिफल के प्राप्त, 50,000 रुपयों से अधिक रकम।
- Keyman बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त धन में बोनस की राशि भी शामिल है।
- 26. आय के अंतर्गत एक सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों के साथ किसी बैंकिंग व्यवसाय को संचालित करने पर उत्पन्न हुए लाभ शामिल होंगे।

मूल सिद्धान्त

आयकर अधिनियम की विषय-सामग्री आय है। आयकर अधिनियम द्वारा आय की कोई भी परिभाषा तथा निर्देश के अभाव में करदाता तथा आयकर विभाग उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित मुकदमों को आधार मानते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार सारी प्राप्तियाँ आय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आतीं जो प्राप्तियाँ उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की शर्ते पूरी करती हैं, केवल उन्हीं प्राप्तियों को आय कहा जा सकता है। वे प्राप्तियाँ जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, आय कहलाती हैं।

- आय का साधन निरंतर लाभ देने वाला होना अनिवार्यता नहीं है, परन्तु उस साधन का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होना चाहिए।
- आय में वे सभी राशियाँ सम्मिलित की जाती हैं, जो प्राप्य हो गई हैं, परन्तु प्राप्त नहीं हुईं।
- आय मुद्रा के रूप में या अन्य वस्तुओं के रूप में प्राप्त हो सकती हैं।
- आय के सम्बन्ध में निरन्तरता तथा पूर्व आशा होना आवश्यक है।
- ऐसी प्राप्ति जिसे आय माना गया हो, कर मुक्त हो सकती है।
- आय बाह्य स्रोतों से प्राप्त होनी चाहिए।
- आय का तात्पर्य वास्तविक आय से है, काल्पनिक तथा तकनीकी आय को आयकर अधिनियम, 1961 में आय नहीं माना जा सकता है।
- 8. आय या आय के स्रोत का वैध होना आय की परिभाषा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अवैध रूप से प्राप्त की गई आय पर भी आयकर का दायित्व होता है, लेकिन ऐसी आय पर न्याय के अंतर्गत दण्ड से छूट नहीं मिलती।

व्यक्ति की परिभाषा (Definition of a Person)

आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) के अनुसार व्यक्ति का तात्पर्य है–

- 1. एक व्यष्टि,
- 2. हिन्दू अविभाजित परिवार,
- 3. कम्पनी,
- 4. साझेदारी फर्म,

आधारभूत संकल्पनाएँ-I / 3

- 5. निगमित या अनिगमित व्यक्तियों का संघ अथवा संस्था,
- 6. स्थानीय प्राधिकरण,
- 7. कानून द्वारा मान्य कृत्रिम विधिक व्यक्ति।

निर्धारिती/करदाता की परिभाषा

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (7) के अनुसार करदाता वह व्यक्ति है जो कर अदा करता है। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को करदाता की सूची में शामिल किया गया है–

- ऐसा व्यक्ति, जिसकी आय पर करारोपण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो।
- ऐसा व्यक्ति जिस पर अन्य व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में कर की देयता हो।
- 3. ऐसा व्यक्ति, जिसको कर वापसी लेना हो।
- ऐसा व्यक्ति, जिसे आयकर अधिनियम के अधीन करदाता मान लिया गया हो।
- ऐसा व्यक्ति, जिसे अधिनियम के आदेशों की त्रुटि करने पर करदाता मान लिया गया हो।

निम्नलिखित व्यक्तियों को गलती या त्रुटि करने पर करदाता मान लिया जाता है–

- ऐसा व्यक्ति, जिसे स्रोत पर कर की कटौती का दायित्व हो और वह नहीं करता।
- ऐसा व्यक्ति, जो स्रोत पर कर काटता है, परन्तु सरकारी खजाने में जमा नहीं करता।
- ऐसा व्यक्ति, जो अग्रिम कर निश्चित समय के अन्तर्गत जमा नहीं करता।

स्थायी करदाता संख्या (Permanent Account Number) स्थायी करदाता संख्या एक ऐसी संख्या है जो निर्धारिती का आयकर विभाग में परिचय देती है। निर्धारिती के निवास स्थान या व्यवसाय का पता बदलने पर भी स्थायी करदाता संख्या नहीं बदलती।

दस अंकों का स्थायी करदाता संख्या

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नयी योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत दस अंकों का स्थायी खाता लागू किया था। अत: प्रत्येक करदाता को नया खाता रखना आवश्यक है, चाहे उसके पास पहले से ही स्थायी खाता संख्या मौजूद हो।

स्थायी करदाता संख्या करदाताओं का आयकर विभाग में परिचय तो है ही, साथ ही साथ कर निर्धारण अधिकारी किसी भी व्यक्ति को स्थायी करदाता संख्या आबंटित कर सकता है, जो उसकी राय में आयकर देने के उत्तरदायी हों। सुविधा और सरलता के लिए करदाता अपनी स्थायी करदाता संख्या का उल्लेख आयकर विभाग से होने वाले सभी पत्र-व्यवहार एवं दस्तावेजों में करना अति आवश्यक है।

4/NEERAJ : आयकर के मूल तत्व

भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार हर उस व्यक्ति के लिए स्थायी करदाता संख्या लेना अनिवार्य है जो अपनी आय पर या किसी दूसरे की आय पर कर देने का उत्तरदायी हो। यदि करदाता पहली बार आयकर दे रहा हो और उसे स्थायी करदाता संख्या आबंटित न की गई हो, तो उसे स्थायी करदाता संख्या प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र कर निर्धारण अधिकारी को तुरंत दे देना चाहिए। यदि करदाता को GIR संख्या आबंटित की गई हो, तो वह स्थायी करदाता संख्या के अभाव में GIR संख्या का उल्लेख आयकर की विवरणी में तथा आयकर में होने वाले पत्र व्यवहारों एवं स्थायी दस्तावेजों में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक करदाता के लिए यह जानना जरूरी है कि 2005 से स्थायी करदाता का होना अनिवार्य है।

कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक की 12 महीने की अवधि, कर निर्धारण वर्ष है। कर निर्धारण वर्ष एक वित्तीय वर्ष होता है। कर निर्धारण वर्ष में कर दाता को गत वर्ष की आय पर, आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दर पर आयकर देना होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान कर निर्धारण वर्ष 2015-16 चल रहा है। इस कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पहले प्रत्येक करदाता को उनकी 2014-15 वर्ष की आय पर कर जमा करना अनिवार्य है।

उपरोक्त नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि भारत छोड़कर जाने वाला व्यक्ति पुन: भारत वापस आने का इरादा नहीं रखता तो उसे चालू वर्ष में ही अपनी आय पर कर आयकर का भुगतान करना पड़ता है।

गत वर्ष (Previous Year)

सरल शब्दों में समझा जाये तो गत वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है जिसमें कमाई या आय प्राप्त की जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। इसे पहले की तिथि 31 मार्च तक की अवधि को गत वर्ष कहते हैं। गत वर्ष को वित्तीय वर्ष या लेखांकन वर्ष भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 गतवर्ष माना जाएगा।

1. पूर्व वित्तीय वर्ष–पूर्व वित्तीय वर्ष बारह महीने की वह अवधि है, जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले आती है। कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष 2011-2012 होगा, इसे गत वर्ष भी कहते हैं।

2. आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष होगा—कर निर्धारण वर्ष 1989–90 से पहले कोई भी करदाता अपनी सुविधानुसार गत वर्ष रख सकता था, लेकिन प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम, 1987 के अनुसार आय के सभी स्रोतों के लिए एक समान गत वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) अपनाया जाना आवश्यक है।

3. पृथक आधार पर हिसाबी वर्ष-यदि किसी कारणवश कोई करदाता अपना हिसाब-किताब वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं रखता तो उसे आयकर निर्धारण हेतु 31 मार्च तक हिसाब तैयार करना होगा। उदाहरण के लिए राम का वित्तीय वर्ष कैलेण्डर वर्ष है, लेकिन आयकर की गणना के लिए उसे 31 मार्च तक का ही हिसाब अलग तैयार करना होगा।

4. वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुए नए व्यापार या पेशों के लिए गत वर्ष-यदि किसी व्यक्ति ने अपना नया व्यापार 1 अप्रैल से पहले प्रारंभ किया है तो उसका गत वर्ष व्यापार शुरू करने की तिथि से लेकर 31 मार्च तक का माना जाएगा। उदाहरण के लिए सीता टैक्स्टाइल की स्थापना 1 फरवरी 2015 को हुई। अत: 1 फरवरी से 31 मार्च तक का समय कर निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए गतवर्ष माना जाएगा।

5. आय के किसी नए स्रोत के लिए गतवर्ष–किसी नए स्रोत के लिए गतवर्ष स्रोत के आरंभ होने की तिथि से लेकर उसके तुरन्त बाद आने वाले 31 मार्च की अवधि को माना जाएगा।

6. अप्रकट या अस्पष्ट धनराशि के लिए गतवर्ष-कोई भी ऐसी आय जिसके लिए वह व्यक्ति संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता, उसे अप्रकट या अस्पष्ट आय कहते हैं। ऐसी आय का गतवर्ष वही होगा, जो उस व्यवसायी के अन्य व्यवसायों का है।

7. फर्म में लाभ के भाग के लिए गतवर्ष-फर्म का गतवर्ष किसी करदाता का फर्म में लाभ के लिए गतवर्ष माना जाएगा। गत वर्ष की आय का करारोपण उसी वर्ष में होना भारतीय आयकर अधिनियम में आय के संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियों का उल्लेख है, जब उन पर आयकर गत वर्ष में ही देय होता है।

 अनिवासी जहाजी कम्पनी की आय–भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 172 के अनुसार किसी भी अनिवासी जहाजी कम्पनी को अपनी आय पर उसी वर्ष कर देना पड़ेगा, जिस वर्ष वह कमाई गई हो।

2. भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय–भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 174 के अनुसार, यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि करदाता भारत छोड़कर जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को चालू वर्ष में ही भारत छोड़कर जाने वाली तिथि तक कमाई गई आय पर आयकर का भुगतान करना अनिवार्य है।

3. किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए स्थापित व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के निकाय अथवा कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति की आय-आयकर अधिनियम की धारा 174 A के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो